

कार्यालय-कमिश्नर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक 21 02, 2023

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तरप्रदेश।  
अपर आयुक्त ( लेखा ) राज्य कर, उत्तरप्रदेश।  
अपर निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ।  
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।  
उप आयुक्त / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, न्यू हैदराबाद, लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.02.2022 द्वारा आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के नियंत्राधीन कार्यरत सभी कार्मिकों का डाटा मानव सम्पदा पोर्टल पर फीड कराने के सम्बन्ध में कपितय निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उक्त कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने अधीन कार्यरत समस्त सहायक लेखाधिकारी / सहायक लेखाकार / लेखाकार / वरिष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक को पत्र में अंकित निर्देशों के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

( अखिलेश कुमार सिंह )

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ।

कार्यालय आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।

पत्रांक— आ0ले0प0—

/8160/अधि0/2018

दिनांक ०२- फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं—आ0ले0प0— 3538/1125/अधि0/2015 दिनांक: 23 दिसम्बर 2022 तथा कार्यालय ज्ञाप सं—आ0ले0प0— 4037/1125/अधि0/2015 दिनांक: 25 जनवरी 2023 द्वारा, मानव सम्पदा पोर्टल <https://chrms.upsdc.gov.in> पर Fact Sheet /P-2, Update कराने हेतु आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों को दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 जनवरी 2023 द्वारा सभी कार्मिकों से अपेक्षा की गयी थी कि वे दिनांक: 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित ई-मेल - [internalmanavsampada@gmail.com](mailto:internalmanavsampada@gmail.com) पर Fact Sheet /P-2, Update कराने हेतु, संशोधित शीट भेजने अथवा डाटा सही होने की दशा Fact Sheet/P-2 में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होने सम्बन्धी अनुरोध पत्र अवश्य भेज दें।

प्रगति समीक्षा करने पर पाया गया कि उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि तक लगभग 400 कार्मिकों की ही सूचना ई-मेल पर प्राप्त हुयी है, जो कार्यरत कार्मिकों की संख्या को देखते हुये बहुत ही कम है।

अतः उक्त कार्य हेतु दिनांक: 07 फरवरी 2023 की अन्तिम तिथि निर्धारित करते हुये आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों से पुनः अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्होंने उक्त कार्यालय ज्ञाप में दिये गये निर्देशानुसार वॉछित सूचना अभी तक नहीं प्रेषित किया है, तो कृपया ई-मेल - [internalmanavsampada@gmail.com](mailto:internalmanavsampada@gmail.com) पर दिनांक: 07 फरवरी 2023 तक अवश्य प्रेषित करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि मानव सम्पदा पोर्टल पर उनसे सम्बधित Fact Sheet/P-2 की सूचना सही है और उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस तिथि के पश्चात, मानव सम्पदा पोर्टल पर सूचना के अभाव में किसी भी प्रकार के सेवा सम्बन्धी निर्णय में त्रुटि के लिये सम्बधित कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होगा।

आप आग्रह (प्र०)

आप आग्रह  
14.2.23

5025

Def (जा.स. आ)

म

आप आग्रह (प्र०)  
15-2-2023

1499


(साधना श्रीवास्तव)  
निदेशक।

(10) 5/1/18

पत्रांक- आ0ले0प0-4162 / 8160 / अधि0 / 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री पूर्णदेव उपाध्याय, विशेष सचिव/ नोडल अधिकारी मानव सम्पदा, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त सेवार्ये अनुभाग-1, सचिवालय लखनऊ।
- 2- समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक तथा सम्प्रेक्षक को उक्त प्रकार अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय अधिष्ठान उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक तथा सम्प्रेक्षक को अनुपालनार्थ।
- 4- IT Cell आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश को कार्यालय ज्ञाप विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु।
- 5- अध्यक्ष एवं महामंत्री, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एसोसिएशन को इस आशय से प्रेषित कि वे भी उक्त कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने में एसोसिएशन की ओर से सहयोग प्रदान करें।

  
(साजिद आजमी)  
अपर निदेशक।

5/1/18